

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 3033/11-सी-FP/UP/Road/49626/2020, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 26, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग (रढ़ैता-पीलीभीत सैक्शन के 731 K किमी० 137.250 से किमी० 183.380 (पैकेज- VI) के निर्माण कार्य में प्रभावित 44.376 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 26427 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/Road/49626/2020)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/२९/२०२२/एफ०सी०/७८५, दिनांक-३१.०३.२०२२
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत ने अपने पत्रांक-2056/35-1, दि० 22.04.2022 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित सूचना/अभिलेख दो प्रति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3033/11-सी-FP/UP/Road/49626/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 -वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत।
- 3- परियोजना निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एण्ड हाईवे, शाहजहाँपुर।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।